

जिला क्रीड़ा अधिकारी परीक्षा-2025

Check List

पदनाम – जिला क्रीड़ा अधिकारी

अनुक्रमांक—

क्र०सं०	विज्ञापन की शर्तानुसार वांछित अभिलेखों/प्रमाण पत्रों का विवरण	संलग्न है अथवा नहीं (हां/नहीं)
01	ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति।	
02	विस्तृत आवेदन पत्र (प्रपत्र संख्या-02) अभ्यर्थी द्वारा स्वयं पूर्ण रूप से भरा हुआ।	
03	प्रमाणीकरण प्रपत्र (प्रपत्र संख्या-03) अभ्यर्थी द्वारा स्वयं पूर्ण रूप से भरा हुआ।	
04	देशना पत्रक (प्रपत्र संख्या-04) अभ्यर्थी द्वारा स्वयं पूर्ण रूप से भरा हुआ।	
05	हाईस्कूल प्रमाण-पत्र की प्रति	
06	हाईस्कूल अंकतालिका की प्रति	
07	इण्टरमीडिएट/डिप्लोमा प्रमाण-पत्र	
08	इण्टरमीडिएट/डिप्लोमा अंकतालिका	
09	स्नातक अंतिम वर्ष/सेमेस्टर की अंकतालिका	
10	स्नातक उपाधि	
11	(i) एन०आई०एस० संस्थान से "डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग" नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला, भारतीय खेल प्राधिकरण, नेताजी सुभाष साउथर्न सेन्टर, बेंगलोर, भारतीय खेल प्राधिकरण, नेताजी सुभाष ईस्टर्न सेन्टर, कलकत्ता, भारतीय खेल प्राधिकरण, त्रिवेन्द्रपुरम या (ii) लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, (डीम्ड यूनिवर्सिटी), ग्वालियर से "पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग" (PGDSC) डिप्लोमा।" या (iii) स्वर्णिम गुजरात खेल विश्वविद्यालय गांधीनगर से "पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग" (PGDSC) डिप्लोमा।"	
12	एक खिलाड़ी के रूप में राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में टीम का प्रतिनिधित्व किये जाने संबंधी प्रमाण-पत्र/अभिलेख।	
13	अधिमान्नी अर्हताएं (यदि लागू हों) (एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' अथवा 'सी' प्रमाण पत्र हो, या (तीन) अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में एक खिलाड़ी के रूप में प्रतिभाग किया हो।	
14	सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रदत्त लम्बवत् आरक्षण संबंधी प्रमाण-पत्र। (एस०सी०/एस०टी०/ओ०बी०सी०/ई०डब्लू०एस०)**	

15	सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रदत्त क्षैतिज आरक्षण संबंधी प्रमाण-पत्र।(उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/उत्तराखण्ड महिला/उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक/उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक या राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चे/उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारी अथवा आश्रित/उत्तराखण्ड कुशल खिलाड़ी/उत्तराखण्ड दिव्यांग)	
16	स्थायी निवास प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)।	
17	अभ्यर्थी यदि किसी केन्द्र अथवा राज्य सरकार/लोक प्रतिष्ठान के अधीन सेवारत है तो, सेवा नियोजक द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र की प्रति।	
18	यदि अभ्यर्थी के नाम/पिता के नाम में विभिन्न प्रमाण-पत्रों में साम्य न हो तो उक्त के संबंध में स्वघोषणा प्रपत्र मूल रूप में।	
19	पासपोर्ट साइज के 02 नवीनतम स्वप्रमाणित फोटोग्राफ।	
20	अभ्यर्थी अभिलेख सत्यापन हेतु पहचान पत्र यथा-आधार कार्ड/वोटर कार्ड/ड्राइविंग लाईसेंस आदि मूल रूप से तथा स्वप्रमाणित छायाप्रति।	

* यह स्पष्ट किया जाता है कि मा0 आयोग अंक-तालिकाओं को सम्बन्धित परीक्षा के मूल प्रमाण-पत्र अथवा डिग्री के स्थान पर मान्य नहीं समझते हैं और केवल अंक-तालिकाओं के आधार पर आपको सम्बन्धित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं माना जाएगा। जिन परीक्षाओं के परीक्षाफल हाल में प्रकाशित हुये हों और परीक्षा संस्था (Examining Body) ने नियमित प्रमाण-पत्र (Certificate) अथवा उपाधि (Degree) नहीं दिये हों, उनके लिए औपबन्धिक प्रमाण-पत्र (Provisional Certificate) मूल प्रमाण-पत्र के स्थान पर जमा करना होगा।

** एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0 व अन्य आरक्षण सम्बन्धित प्रमाण-पत्र विज्ञापन के अनुसार ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक वैध होना चाहिए। शासनादेश संख्या-310 दिनांक 26.02.2016 के अनुसार ओ0बी0सी0 प्रमाण-पत्र की वैधता, उक्त प्रमाणपत्र निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि तक ही है। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि उनका आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र उत्तराखण्ड राज्य की सेवाओ हेतु जारी हो।

नोट- आयोग द्वारा मांगे जाने पर अभ्यर्थी उक्तानुसार ऑनलाईन आवेदन पत्र, विस्तृत आवेदन पत्र (प्रपत्र संख्या-02), प्रमाणीकरण प्रपत्र (प्रपत्र संख्या-03), देशना पत्रक (प्रपत्र संख्या-04) एवं समस्त अभिलेखों की छायाप्रति के 02 स्वप्रमाणित सेट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। विभिन्न प्रपत्रों की छायाप्रति ससमय आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करायी जाएगी।

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर.....

अभ्यर्थी का नाम.....